रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2017, शनिवार/पौष 18—पौष 24, 1938

No. 2] NEW DELHI, JANUARY 8— JANUARY 14, 2017, SATURDAY/PAUSA 18 —PAUSA 24, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, [मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक] भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, में फ़ाइन मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, फाइन मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and upto forty - five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 ;** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 ;** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	10^{th} pass or equivalent from a recognised Board or University.	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Seniormost Scientist 'C' or Administrative Officer, National Test House –Chairman ; 2. Scientific Officer or equivalent officer from National Test House –Member; 3. Section Officer, National Test House, Department of Consumer Affairs –Member; 4. Administrative Officer (Grade II) –Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/3/2013-NTH]

D.K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 7.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (तकनीकी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय के राष्ट्रीय परीक्षण शाला में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, बहुकर्मचारिवृन्द (तकनीकी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (तकनीकी)	78* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल -1 (18000 रु.-56900/-रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के	**आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास या समतुल्य (विज्ञान एक विषय के रूप में हो) **वांछनीय:** प्रयोगशाला परिचर के रूप अनुभव हो। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

					माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पुष्टि समिति है और उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'सी' अथवा प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष 2. संबंधित क्षेत्र का समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II) उपभोक्ता मामले -सदस्य 4. राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग का अनुभाग अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए-12018/04/2013 -एनटीएच]

डी.के. सोनकर, उपनिदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 10th January, 2017

G.S.R. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Test House, Head Quarters and Regional Offices, Multi-Tasking Staff (Technical) group 'C' Post Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (Technical) in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Test House, Multi Tasking Staff (Technical) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.-The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff (Technical).	78* (2017) (*Subject to variation dépendent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non - Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 (Rs.18000-56900/-).	Not applicable.

Age -limit for direct recuits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational quali-fications rescribed for direct recruit-ment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(6)		(7)	(8)	(9)
18 to 25 years **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** 10th class pass or equivalent with Science from a recognised Board. **Desirable:** Experience as Lab Attendant. **Note:** Desirable qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case the candidate otherwise well qualified.	Not applicable	No applicable	Two years

Method of recruitment	In case of recruitment	If a Departmental Confirmation	Circumstances in which

whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	by promotion or deputation or absorption grades from which pro-motion or deputation or absorption to be made.	Committee exists, what is its composition.	Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
100 per cent. by direct recruitment.	Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting –** 1. Seniormost Scientist 'C' or Administrative Officer, National Test House -Chairman; 2. A group 'B' Gazetted Officer of the region -Member ; 3. Administrative Officer (Grade II Consumer Affairs -Member ; 4. Section Officer, National Test House, Department of Consumer Affairs -Member ;	Not applicable.

[F. No. A-12018/04/2013-NTH]

D.K. SONKER, Dy. Director (NTH)

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर, 8 दिसम्बर, 2016

सा. का. नि. 8.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 एवं 2016 के अधिक्रमण में, अब तक, सहायक, वरिष्ठ परियोजना सहायक, वैयक्तिक सहायक, परियोजना वैयक्तिक सचिव एवं निजी सचिव के पदों से संबंधित मामलों में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में पदनाम तथा भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (सहायक, वरिष्ठ परियोजना सहायक, वैयक्तिक सहायक, परियोजना वैयक्तिक सचिव एवं निजी सचिव) भर्ती नियम, 2016 कहा जाए।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा,

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा: